कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

प्रकरण संख्या – 11/2024 विभागीय अपील
पंजीयन दिनांक – 05.12.2024

अपीलार्थी :– श्री नरेश कुमार तत्कालीन पटवारी आंजना व पारडी हाल पटवारी आंजना तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द

प्रत्यर्थी :– जिला कलक्टर, राजसमन्द।

अपील अंतर्गत नियम–23 राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर, राजसमन्द दिनांक 14.06.2024

आदेश

दिनांकः 27/03/2026

यह अपील अपीलार्थी ने राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, राजसमन्द के आदेश दिनांक 14.06.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की है जिससे अपीलार्थी के विरूद्ध सीसीए नियम 16 में कार्यवाही उपरान्त अपीलार्थी को एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव के दण्ड से दण्डित किया गया।

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा सी.सी.ए. नियम 16 के अन्तर्गत अपीलार्थी पर तीन आरोप आरोपित करते हुए आरोप पत्र जारी किया गया। आरोप पत्र का स्पष्टीकरण प्राप्त करने उपरान्त आरोपों की जांच हेतु उपखण्ड अधिकारी, कुंभलगढ़ को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी ने अपने जांच प्रतिवेदन में तीनों आरोपों को प्रमाणित माना। जिला कलक्टर द्वारा अपीलार्थी की व्यक्तिगत सुनवाई उपरान्त दिनांक 14.06.2024 के आदेश से अपीलार्थी को एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड दिया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज की गई। जिला कलक्टर, राजसमन्द से जांच अभिलेख तथा अपील पर टिप्पणी मंगवायी गयी। अपीलार्थी को व्यक्तिगत रूप से सुना गया।

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि जांच अधिकारी ने अपने निष्कर्ष बिना किसी जांच एवं दस्तावेजों के परीक्षण के मनमाने ढंग से अंकित किये है। जांच रिपोर्ट उपलब्ध अभिलेखों को नज़र अन्दाज करते हुए दुर्भावना पूर्वक दूषित मानसिकता के आधार पर तैयार की गई है। तीन खसरा नम्बरों के नामान्तरकरण अपीलार्थी की कार्य अवधि के नहीं हैं तथा शेष नामान्तरकरण तहसीलदार के आदेश से खोले गये है, जिससे अपीलार्थी का कोई दोष नहीं है। जांच में किसी साक्ष्य का परीक्षण नहीं किया गया है। जांच अधिकारी ने बिना किसी जांच प्रक्रिया अपनाये, बिना परीक्षण किये दूषित जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर विधि विरूद्ध कार्य किया है। अनुशासनिक अधिकारी ने जांच प्रतिवेदन की प्रति भी अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करवायी। अपने आदेश में बिना अपने निष्कर्ष अंकित किये दूषित जांच रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी को दण्डित किया है जो अवैधानिक होकर निरस्तनीय है। अन्त में अपील स्वीकार कर जिला कलक्टर, राजसमन्द का आदेश निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

हमने अपीलार्थी के कथनों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध नियम विरूद्ध गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रमुख है जिसके विरूद्ध बचाव में उनके द्वारा उक्त कार्य तहसीलदार के आदेशों की पालना में इस बाबत नामान्तरकरण की कार्यवाही किया जाना दर्शाया है।

उल्लेखनीय है कि लोकायुक्त सचिवालय, राजस्व मण्डल–अजमेर, राजस्व विभाग–राजस्थान जयपुर व भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, राजसमन्द में प्राप्त परिवाद को सतर्कता के तहत कार्यवाही करते हुए आरोपी पटवारी को दिनांक 15.09.2021 निलम्बित किया गया तथा 16 सीसीए के अन्तर्गत प्रकरण की विस्तृत जांच की गई। दौराने जांच पटवारी श्री नरेश कुमार, तहसील देवगढ़ को ग्राम जेम खेडा, ग्राम घाटी व ग्राम डांगड़ी में कतिपय गैर खातेदारों को बिना कब्जे, उनके द्वारा काश्त नहीं करने, राजस्व नक्शे में तरमीम नहीं होते हुए, आवंटन शर्तों की पालना नहीं किए जाने पर भी खातेदारी हकों की अनुशंषा व खातेदारी अधिकार प्रदान किए जाने के आरोप प्रदान किया जाना उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ (जांच अधिकारी) की रिपोर्ट दिनांक 02.05.2024 अनुसार साबित होने पर जिला कलक्टर, राजसमन्द ने दिनांक 28.06.2024 को आरोपी पटवारी को एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया।

उदयपुर (राज.)

प्रकरण में आरोपी पटवारी का कथन कि उनके द्वारा समस्त कार्यवाही तहसीलदार, देवगढ़ द्वारा दिए गए खातेदारी अधिकार आदेश की पालना में नामान्तरकरण खोले गए हैं मान्य नहीं हैं। ज्ञातव्य है कि आरोप में अंकित समस्त कार्य राजस्व नक्शे में तरमीम, कब्जे की रिपोर्ट व काश्त किए जाने की रिपोर्ट पटवारी के मूल कर्त्तव्यों में शामिल है तथा उक्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन व अनुशंषा उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जाती है। यहां यह भी अंकित किया जाना समीचीन है कि चूंकि गैर खातेदारी से खातेदारी की कार्यवाही तहसीलदार द्वारा सम्पूरित की गई तथा इस कड़ी में एक अन्य फील्ड कार्मिक भू–अभिलेख निरीक्षक भी सम्मिलित है, को भी दोषी माना जाकर उनके विरूद्ध भी समुचित अनुशासनिक कार्यवाही किया जाना अभिलेख पर उपलब्ध है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि आरोपी श्री नरेश कुमार द्वारा व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से अपने मूल दायित्वों के निर्वहन में कोताही बरती है, जिसके लिए वह जिम्मेदार हैं। अतः जिला कलक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.06.2024 तथा सूचना पत्र प.14( )भू.अ./वि.जा./2024/4903 दिनांक 28.06.2024 में अंकित एक वेतन वृद्धि के संचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड में किसी प्रकार की तथ्यात्मक व विधिक त्रुटि नहीं पाए जाने से हम इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त परिदृश्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है तथा जिला कलक्टर, राजसमन्द का आदेश यथावत रखा जाता है।

(प्रज्ञा केवलरमानी)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर